

फोटो प्रति निर्णय दिनांक 11-7-2019

स्थगन प्रार्थना पत्र सं. R.M. 10/2018

ईसमाईल खां बनाम सरकार जरिये पटवारी हल्का  
ओडवाडा, तह. आहोर

न्यायालय अतिरिक्त, जिला कलेक्टर जालोर

— १००० —

11-7-19

प्राचीं के वकील उपस्थित / अप्राचीं की ओर  
के सरकारी वकील उपस्थित / इस स्थगन  
-प्रार्थनापत्र से संबंधित मूल अपील में निर्णय  
हो चुका है / अतः अतः इस स्थगन प्रार्थनापत्र  
का कोई औचित्य नहीं होने से यह स्थगन  
-प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है / पत्रावली  
कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो / आदेश  
सबे इजलास सुनाया गया / अह प्रकारण मूल  
अपील सं. 15/2018 के संलग्न किया जावे /

(दरगनलाल गोयल)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
जालोर (राज.)

